न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 38/2019

अपीलार्थी

1. श्री छगनलाल पुत्र श्री बाबूलाल पाठक जाति ब्राह्मण निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही हाल सुखवानी कैम्पस, सनफ्लोवर विंग ए–8 वल्लभनगर, पिम्परी पूना।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्री उदा पुत्र श्री वेला जाति भील निवासी उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
3. श्री हीरा पुत्र श्री वेला जाति भील निवासी उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
4. श्री गोविन्द पुत्र श्री वेला जाति भील निवासी उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
5. श्रीमती रोपु धर्मपत्नि श्री वेला जाति भील निवासी उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. नायब तहसीलदार (पेरोकार राज.)

निर्णय दिनांक : 12.10.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार आबूरोड द्वारा उनके नामान्तरकरण संख्या 642 दिनांक 21.05.2019 के विरूद्ध दिनांक 24.06.2019 को प्रस्तुत की जिस पर अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या दो से पांच की ओर से इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस को लेने से इन्कार किया गया एवं न ही किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति दी एवं रेस्पोडेन्ट ... सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:16:49 IST
Reason: SelfAttested

दोनों पक्षों की ... अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया द्वारा ... किया गया कि गांव उमरणी ... आबूरोड जिला सिरोही में खाता संख्या 158 खसरा संख्या 532/319 कुल ... रकबा 0.05 बीघा आबादी भूमि आई हुई है। यह है कि उक्त खसरा संख्या की भूमि

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

वेला, देवा पिसरान थावरा वगैरा के खातेदारी तथा कब्जा की भी एवं उक्त आराजी को खातेदारान द्वारा जरिए भूमि रूपान्तरण आदेश संख्या/भूमि/रूपा./98/499–503 दिनांक 17.10.1988 के आबादी में रूपान्तरित करवाया गया, जिसका संपरितवर्तन आदेश तहसीलदार आबूरोड द्वारा खातेदारान के हक में कुल 632.24 वर्गमीटर का जारी किया गया। उक्त भूमि के आबादी में संपरिवर्तित होने के बाद संपरिवर्तित भूमि को पट्टाधारियों व उनके वारिसान ने अपीलांट को जरिए विक्रय विलेख संख्या 1141/2008 दिनांक 22.07.2008 को 505.73 वर्गमीटर या 5441.65 वर्गफीट भूमि एवं पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 84/2010 दिनांक 11.01.2010 को 126.51 वर्गमीटर यानि 1361.24 वर्गफीट भूमि का विक्रय किया। इस प्रकार खसरा संख्या 532/319 की सम्पूर्ण भूमि को अपीलांट द्वारा जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख के खरीदकर कब्जा प्राप्त किया एवं तब से अपीलांट अपने स्वामित्व की भूमि पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस भूमि का नामान्तरकरण दर्ज किया गया वह भूमि अपीलांट के स्वामित्व व कब्जे की है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण को दर्ज करने से पूर्व किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई है एवं अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किए बगैर उक्त आदेश को पारित किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नामान्तरकरण संख्या 642 दिनांक 21.05.2019 को निरस्त किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की कानूनन व वाक्यातन गलती नहीं की गई है। पटवारी हल्का मानपुर की रिपोर्ट के आधार पर खातेदार श्री वेला पुत्र श्री थावराजी की मृत्यु होने से उनके उत्तराधिकारियों के पक्ष में उक्त नामान्तरकरण को स्वीकार किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का कोई आधार नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या दो से पांच ने इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस को लेने से इन्कार करते हुए किसी भी तारीख पेशी पर अपनी उपस्थिति नहीं दी। उनको पूर्व कई मौके दिए जा चुके है। अतः उनका जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता है।

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि विवादित भूमि गांव उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही में खसरा संख्या [illegible] कुल किता 01 रकबा 0.05 बीघा आबादी दर्ज थी। उक्त [illegible] श्री थावरा मु. सोना बेवा भूरा, पारू पुत्र भंवरा 3/4 लहरी पत्नि रावता [illegible] कौम भील सा. देह खातेदार दर्ज थी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि खातेदार श्री वेला पुत्र श्री थावराजी वगैराह ने उक्त खातेदारी भूमि को [illegible]लांट को जरिए पंजीकृत विक्रय

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:16:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विलेख संख्या 1141/2008 दिनांक 22.07.2008 को 505.73 वर्गमीटर या 5441.65 वर्गफीट भूमि एवं पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 84/2010 दिनांक 11.01.2010 को 126.51 वर्गमीटर यानि 1361.24 वर्गफीट भूमि का विक्रय किया। इस प्रकार खसरा संख्या 532/319 की सम्पूर्ण भूमि को अपीलांट द्वारा जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा क्रय किया गया। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्री वेला पुत्र श्री थावरा की फौत होने से उनके उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख का अवलोकन नहीं किया गया है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से पूर्व दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए थी, परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की जांच किए बगैर उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरणकरण संख्या 642 दिनांक 21.05.2019 को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः तहसीलदार, आबूरोड को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर रेकर्ड एवं तथ्यों की जांच कर विधि में प्रदत्त प्रावधानों के तहत विधि सम्मत नये सिरे से नामान्तरकरण आदेश पारित करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:16:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner